

संख्या 15011/36/2022-जे यू एस (एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग से संबंधित मई, 2022 माह का मासिक सारा

न्याय विभाग से संबंधित मई, 2022 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. संसदीय स्थायी समिति का भारत के उच्चतम न्यायालय का निरीक्षण:

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों से "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल न्यायालयों/न्यायालय की कार्यवाहियों के संचालन" विषय पर बातचीत करने के लिए श्री सुशील कुमार मोदी, सांसद (राज्य सभा) की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 11 मई, 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय का निरीक्षण किया।

2. ईकोर्ट परियोजना पर यू के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक:

ई कोर्ट, न्यायाधीशों के प्रशिक्षण आदि के संबंध में दोनों देशों के मध्य भावी सहयोग से संबंधित आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए न्याय मंत्रालय, यूनाइटेड किंगडम से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 23-05-2022 को न्याय विभाग, भारत सरकार के कार्यालय का दौरा किया। यूके प्रतिनिधि मंडल की भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति की बैठक भी न्यायमूर्ति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, माननीय अध्यक्ष, ई समिति की अध्यक्षता में दिनांक 24-05-2022 को आयोजित हुई जिसमें सचिव (न्याय) सहित न्याय विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई।

3. ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-II:

क) राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड: दिनांक 02-05-2022 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20.48 करोड़ से अधिक मामलों और 17.24 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ख) वर्चुअल कोर्ट: 17 वर्चुअल न्यायालय द्वारा 1.47 करोड़ से अधिक मामलों की सुनवाई की गई और 02-05-2022 तक 24 लाख से अधिक मामलों में 246 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया।

ग) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:

(i) कोविड-19 डाउन प्रारंभ होने की अवधि से, 30/04/2022 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला न्यायालयों में 1.28 करोड़ मामलों की सुनवाई हुई जबकि उच्च न्यायालयों में 0.63 करोड़ मामलों (कुल 1.92 करोड़ मामलों) की सुनवाई हुई।

(ii) कुल 23 उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, 24 जिला न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का पालन किया है।

घ) ई फाइलिंग:

(i) 18 उच्च न्यायालयों ने ई फाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है। 28 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी, 18 जिला न्यायालयों ने ई फाइलिंग के मॉडल नियमों का पालन किया है।

(ii) अप्रैल, 2022 की समाप्ति तक, ई फाइलिंग सुविधा का प्रयोग करके उच्च न्यायालयों में 2,45,786 मामले दायर किए गए और जिला एवं तालुका अदालतों में 3,53,506 मामले दायर किए गए।

4. टेली लॉ: वंचितों तक पहुंच

31 मई, 2022 तक, 19,12,180 व्यक्तियों को कानूनी सलाह दी गई जिसमें मई, 2022 माह के दौरान के 1,02,206 व्यक्ति भी शामिल हैं। विधिक सेवा की एकीकृत प्रदायगी पर वर्चुअल अभिविन्यास और टेली लॉ पर प्रशिक्षण: वंचितों तक पहुंच कार्यक्रम दिनांक 23 मई, 2022 को आयोजित किया गया था और उसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और नालसा के प्रतिनिधियों के साथ 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

5. न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं)

मई, 2022 माह के दौरान, 75 नए वकीलों को जोड़ा गया जिससे वकीलों की कुल संख्या 4216 (पुरुष-3675, महिला- 539, ट्रांसजेंडर-02) हो गई है। इसके अतिरिक्त, अब तक न्याय बंधु पैनल के अंतर्गत 17/25 उच्च न्यायालय द्वारा 791 प्रो बोनो वकीलों का नामांकन किया गया है। अब तक 44 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब स्कीम प्रारंभ की जा चुकी है।

6. विधिक साक्षरता कार्यक्रम

(क) विधिक जागरूकता के भाग के रूप में "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" विषय पर वेबीनार दिनांक 27 मई, 2022 को आयोजित की गई जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, शिशु कल्याण समिति केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और यू एन आई सीईएफ इंडिया के प्रमुख वक्ता शामिल हुए और इस वेबीनार के माध्यम से 24,715 प्रतिभागियों तक पहुंचा गया।

ख) सिक्किम राज्य महिला आयोग (एसएससी डब्लू) ने चुंगतांग, नॉर्थ सिक्किम और लाचेन उत्तरी सिक्किम में 120 प्रतिभागियों के लिए महिला और कानूनी मुद्दों पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

ग) अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लांगडिंग, अरुणाचल प्रदेश में 21 मई, 2022 को प्रशिक्षण कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें "ईच वन टीच टेन" पहल के अंतर्गत 41 गांव वृद्धों और 255 सामुदायिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

7.

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 407 विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों सहित 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्य कर रहे हैं और अब तक 92000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।

XXXXXXXXXXXX